



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 497 राँची, शुक्रवार,
4 श्रावण, 1946 (श०)
26 जुलाई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

4 जुलाई, 2024

संख्या-5/आरोप-1-65/2022 का.--25990 (HRMS)--श्रीमती उषा मुण्डू झा०प्र०से०
(कोटि क्रमांक-92/20), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी के विरुद्ध उपायुक्त, खूँटी के पत्रांक-1096/पं०, दिनांक 21.12.2022 के द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्रीमती मुण्डू के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप संख्या-01:- त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2022 के क्रम में विभिन्न कोषांगों में आपूर्ति किये गये भोजन एवं अल्पाहार से संबंधित विपत्रों की राशि के भुगतान की कार्रवाई किये जाने से पूर्व संबंधित कोषांग के वरीय/प्रभारी पदाधिकारी से संबंधित विपत्रों के सत्यापन कराये जाने एवं विपत्रों पर उनसे प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की कार्रवाई नहीं की गई ।

आरोप संख्या-02:- द्वितीय एवं चतुर्थ चरण के चुनाव के क्रम में Dispatch एवं Receiving के अवसर पर आपूर्ति किये गये भोजन एवं अल्पाहार आदि का समुचित ब्यौरा का संधारण कार्यालय में नहीं किया गया। साथ ही दोनों चरणों के Counting में प्रत्येक टेबुल पर एक मतगणना

पर्यवेक्षक/मतगणना सहायक को दर्शाया गया है जबकि प्रत्येक टेबुल पर मतगणना पर्यवेक्षक एवं दो मतगणना सहायक सहित कुल तीन मतगणना कर्मियों की ही प्रतिनियुक्ति की गई थी। Dispatch एवं Receiving के अवसर पर लगाये गये 200 मजदूर का लेखा जोखा कार्यालय में संधारित नहीं किया गया। मतगणना के क्रम में आपूर्ति किये गये भोजन, अल्पाहार का आकलन सत्यापन एवं संशोधन तदनुसार एजेंसी द्वारा समर्पित संबंधित विपत्रों से किया जाना आवश्यक था, जो नहीं किया गया ।

आरोप संख्या-03:- मतपत्र कोषांग के विपत्र में दिनांक 11.04.2022 से 27.05.2022 तक कुल 47 दिनों के लिए विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति दर्शाया गया है जबकि मतपत्र मुद्रण के पश्चात काफी कम अवधि के लिए मतपत्र कोषांग क्रियाशील रहा था ।

आरोप संख्या-04:- परिवहन कोषांग एवं वाहन कोषांग से संबंधित विपत्र संख्या-14, 19 एवं 20 क्रमशः राशि 7,83,831/-, 41,26,653/- एवं 23,96,956/- का सत्यापन नहीं कराया गया ।

आरोप संख्या-05:- वाहन एवं अन्य कोषांगों में लगाये गये टेन्ट, शामियाना, बैरिकेडिंग, Dispatch एवं Receiving day Counters Barricading मतगणना हॉल में नेटिंग एवं बैरिकेडिंग तथा अन्य हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, खूँटी से प्राक्कलन तैयार कर आवश्यकतानुसार प्रशासनिक स्वीकृति लिये जाने की कार्रवाई नहीं की गई। निर्वाचन कार्य समाप्ति के उपरांत कराये गये कार्यों का विधिवत मापी प्रतिवेदन/मापी पुस्तिका प्राप्त कर यथोचित राशि का उपावंटन का कार्य नहीं किया गया, परंतु एजेंसी द्वारा कराये गये कार्यों का बिना किसी सक्षम तकनीकी पदाधिकारी से सत्यापन कराये बगैर विपत्रों का भुगतान कराया गया ।

आरोप संख्या-06:- दोनों चरणों में Dispatch, Receiving एवं Counting के निमित्त एजेंसी द्वारा समर्पित किये गये विपत्र, जिसमें दिनों की संख्या-03 अथवा 02 दिन दर्शाया है, के माध्यम से एजेंसी को भुगतये राशि में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-101, दिनांक 06.01.2023 द्वारा श्रीमती मुण्डू से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्रीमती मुण्डू के पत्र, दिनांक 30.05.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है ।

3. श्रीमती मुण्डू के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं उक्त आरोपों पर श्रीमती मुण्डू के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या-22479(HRMS), दिनांक-19.07.2023 के द्वारा श्रीमती उषा मुण्डू, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-92/20), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा पत्रांक-94 दिनांक-20.10.2023 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन में श्रीमती मुण्डू के विरुद्ध प्रतिवेदित सभी 06 आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

5. श्रीमती मुण्डू के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए

श्रीमती मुण्डू के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-1243, दिनांक 20.02.2024 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी ।

6. श्रीमती मुण्डू के पत्र दिनांक- 22.04.2024 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित है, जिसमें प्रतिवेदित है कि उनके द्वारा विभिन्न कोषांगों द्वारा प्राप्त प्रतिहस्ताक्षरित विपत्र पर नियमानुसार उप विकास आयुक्त के माध्यम से उपायुक्त के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान किया गया है। सभी प्रतिहस्ताक्षरित विपत्रों का विस्तृत रूप से विवरण सहित उपस्थापन किया गया था, किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया था। प्रतिहस्ताक्षरित विपत्रों पर उप विकास आयुक्त एवं उपायुक्त महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत ही भुगतान किया गया था। जाँच टीम का गठन चुनाव संपन्न होने के कई महीने बीत जाने के उपरांत गठित किया गया एवं सभी कोषांगों द्वारा उसी तिथि में प्रतिवेदन Create कर उपलब्ध कराया गया। उनके द्वारा मात्र एक चरण के विपत्र का भुगतान अनुमोदनोपरांत किया गया है एवं जो भी भुगतान किया गया है, वह गलत मंशा से नहीं कर उच्च अधिकारियों से अनुमोदन के उपरांत किया गया है ।

7. श्रीमती मुण्डू के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि विपत्रों पर उप विकास आयुक्त का सहमति एवं उपायुक्त का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात ही भुगतान किया गया है। विपत्र में त्रुटि रहने पर संबंधित दोनों पदाधिकारियों के द्वारा सहमति एवं अनुमोदन नहीं दिया जाना चाहिए था। सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि निर्वाचन समाप्ति के पश्चात उपायुक्त द्वारा सभी विपत्रों का जाँच कराया गया, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि पूर्व में भुगतान किये गये विपत्रों में अधिक राशि का भुगतान किया गया है, जिसे बाद में अन्य विपत्रों के भुगतान के क्रम में समायोजन कर लिया गया है तथा विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा भी जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि सरकारी राजस्व की क्षति नहीं हुई है ।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती उषा मुण्डू, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-92/20), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध प्रस्तावित “झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड” को संशोधित करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती उषा मुण्डू, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-92/20) एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	USHA MUNDU 20080400134	श्रीमती उषा मुण्डू, झांघ्रंसे (कोटि क्रमांक-92/20), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध प्रस्तावित "झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" को संशोधित करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या 20060400057
